	₽
रेल मंत्रालय	
रेल मंत्रालय ने ए 1 श्रेणी के स्टेशनों पर युवा स्टेशन निदेशकों की नियुक्ति का फैसला किया	

रेल मंत्री श्री पीयृष गोयल द्वारा दिए गए निर्देश के अंतर्गत रेल प्रशासन ने वड़े रेलवे स्टेशनों पर स्टेशनिदेशकों के रूप में युवा, प्रतिभाशाली और ऊर्जावान अधिकारियों की नियुक्ति करने का फैसला किया है। इनअधिकारियों का चुनाव रेलवे के विभिन्न परि स्टेशन निदेशक यह सुनिध्चित करेंगे कि स्टेशन ग्राहकों के लिए उत्कृष्टता केन्द्रर के रूप में कार्य करे। इसके अलावा उच्च व्यावसायिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पूरी सतर्कता के साथ उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदानकरना सुनिध्चित किया जाएगा। स्टेशन निदेशक और उनकी टीम के कार्य निम्न होंगे: -

Posted On: 20 SEP 2017 8:14PM by PIB Delhi

- ग्राहकों को शीघ्रता व विनम्रता के साथ समस्यामुक्त सेवा प्रदान करना
- स्टेशन और स्थिर ट्रेनों पर उचित स्वच्छता और साफ-सफाई
- टिकट खिड़की और आरक्षण कार्यालय में कुशलतापूर्वक कार्य
- स्टेशन पर रेलगाड़ियों के समय की पावंदी, प्लेटफार्म पर रेल का सही समय पर आगमन औरप्रस्थान
- स्टेशन पर सभी यात्री सुविधाओं का उचित रखरखाव
- यात्री पूछताछ प्रणाली और प्रदर्शन बोर्ड का उचित रखरखाव
- पार्सल कार्यालय द्वारा कुशलता व पारदर्शिता के साथ ग्राहक को सेवा उपलब्ध कराना
- स्टेशन पर खानपान व अन्य स्टालों की निगरानी
- शिकायत का तत्काल निवारण
- यात्रियों की सुरक्षा
- स्टेशन को ग्राहक के लिए एक उत्कृष्ट सेवा केंद्र बनाने हेतू कोई भी अन्य सेवा/सुविधा उपलब्धकराना।

इन कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए स्टेशन निदेशकों को रेलवे की विभिन्न विभागीय टीमों कासहयोग मिलेगा। 'यातायात सुविधा' और 'यात्री सुविधा' से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्टेशन निदेशकोंको शामिल किया जाएगा। गैर-किराया मद से आमदनी के तहत स्टेशन के व्यावसायिक इस्तेमाल से संबंधितनिर्णयों में स्टेशन निदेशक का सिक्रिय सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए स्टेशन निदेशक अपने वरिष्ठअधिकारियों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

0

 \square

in

ए 1 शरेणी के कुछ स्टेशन हैं- नई दिल्ली, देहरादून, हावड़ा, सीएसटी मुंबई, विशासापट्टनम, मुगलसरायजंक्शन, आगरा केंट, न्यू जलपाईगुड़ी, जोधपुर, खड़गपुर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई सेंट्रल, वैंगलोर सिटी, हैदराबादआदि। पूरी सुची के लिए कुपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

 $\underline{http://pibphoto.nic.in/documents/rlink/2016/nov/p201611202.pdf}$

वीके/जेके/डीके - 3852

(Release ID: 1503520) Visitor Counter: 10

f